(राजस्थान सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा शंकर मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 197/2022

बउनवान

गोपाल पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये उप वन संरक्षक बारॉ जिला बारॉ (रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री शैलेष मेहता अभिभाषक (अपीलांट)

2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 07.02.2022

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 179/2022 किस्म भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 मे उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2022 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके वन खण्ड हरनावदाशाहजी ग्राम हरनावदाशाहजी के खसरा नम्बर 82 की रकबा 10 बीघा वन भूमि पर सन् 2022 मे फसल सोयाबीन एवं मक्का बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 01 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 20,000/– रूपये शास्ति से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 12.12.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही अवलोकन नही कर निर्णय फरमाया गया है। न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी बाबत कोई रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलांट को ना तो जवाबदेही का अवसर मिला और न ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर कोई गौर नहीं कर एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलांट को सजायाब किया गया है, जो विधि के स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नही है। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है, फैसले में वर्णित भूमि पर कार्यवाही की तिथि को उसका कब्जा नहीं था न आज है, उसके विरूद्ध वनपाल ने बिना खेत देखे गांव में बैठकर झूठी रिपोर्ट की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को निर्दोष होते हुये भी सजायाब किया है। अपीलांट के विरूद्ध पूर्ववर्ती अतिक्रमी होने की कोई साक्ष्य नहीं है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि सहायक वन संरक्षक, छीपाबड़ौद का फैसला दिनांक 21.10.2022 निरस्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:02:05 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी वन भूमि पर फसल सोयाबीन एवं मक्का बोकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को तामील करवाई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी अतिक्रमण किया गया था जिसे मिसल नं. 123/2022 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2022 द्वारा सजायाब एवं बेदखल किया गया था, जो बयान वन पेरोकार से प्रमाणित है। अपीलांट द्वारा पुनः सन् 2022 मे किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा बहाल रखी जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत हैं। प्रकरण मे अतिक्रमित रकबा 10 बीघा अधिक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 179/2022 किस्म भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 मे उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **07.02.2022** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दुर्गा शंकर मीना)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:02:05 IST
Reason: SelfAttested